ANNEXURE - IV

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 1991/माघ 17, 1913

No. 58] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 1992/MAGHA 17, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1992

सा. का. नि. 87(अ) :- केन्द्रीय सरकार, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक दायित्व बीमा (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 में नियम 9 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

"10. दायित्व की सीमा

(1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2क) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी एक दुर्घटना से उद्भूत अनेक दावेदारों को किसी अधिनिर्णय के अधीन राहत देने का बीमाकर्ता का अधिकतम कुल दायित्व पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा और पालिसी जारी रहने या एक वर्ष के दौरान, जो भी कम हो, एक से अधिक दुर्घटना की दशा में, कुल मिला कर पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।

(2) अधिनियम के अधीन राहत देते समय कलक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा पालिसी के अधीन बीमाकर्ता का अधिकतम दायित्व उप-नियम (1) में अनुबद्ध सीमाओं से अधिक न हो।

(3) जहां राहत का अधिनिर्णय बीमा पालिसी के अधीन संदेय रकम से अधिक के लिए हो तो उसे राहत निधि से दिया जाएगा और यदि अधिनिर्णय बीमा और राहत निधि की कुल रकम से अधिक हो वहां ऐसी संदेय राशि में कम पड़ने वाली रकम स्वामी द्वारा दी जाएगी।

11. पर्यावरण राहत निधि में स्वामी का अभिदाय

(1) स्वामी पर्यावरण राहत में बीमाकर्ता को संदेय प्रीमियम के बराबर राशि का अभिदाय करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन पर्यावरण राहत निधि में प्रत्येक अभिदाय प्रीमियम की रकम सहित बीमाकर्ता को संदेय होगा।

(3) बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त अभिदाय अधिनियम की धारा 7क के अधीन स्कीम के अनुसार परेषित किया जाएगा।"

[सं. पी. 22011/2/92 – सं पी ए]

मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 1992

G.S.R. 87(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Liability Insurance Rules, 1991, namely :—

1. (1) These rules may be called the Public Liability Insurance (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Liability Insurance Rules, 1991, after rules 9 the following rules shall be inserted, namely :

"10. Extent of liability

(1) Subject to the provisions of sub-section (2A) of section 4 of the Act, the maximum aggregate liability of the insurer to pay relief under an award to the several claimants arising out of an accident shall not exceed rupees five crores and in case of more than one accident during the currency of the policy or one year, whichever is less, shall not exceed rupees fifteen crores in the aggregate.

(2) In awarding relief under the Act, the Collector shall ensure that the insurer's maximum liability under the Insurance Policy does not exceed the limits stipulated in sub-rule (1).

(3) Any award for relief which exceeds the amount payable under the Insurance Policy shall be met from the Relief Fund and in case the award exceeds the total of the amount of insurance and the Relief Fund, the amount which falls short of such sum payable shall be met by the owner.

11. Contribution of owner to the Environmental Relief Fund.

(1) An owner shall contribute to the Environmental Relief Fund a sum equal to the premium payable to the insurer.

(2) Every contribution to the Environmental Relief Fund under sub-rule (1) shall be payable to the insurer, together with the amount of premium.

(3) The contribution receiving by the insurer shall be remitted as per the scheme under section 7A of the Act."

[No. P. 22011|2|92-CPA]

MUKUL SANWAL, Jt. Secy.

FOOTNOTE : The Principal Rules were published in the Gazette of India Vide Notification S.O. 330(E) dated 1st May, 1991 and subsequently amended by Notification No. G.S.R. 596(E) dated the 20th September, 1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992